रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082020-221176
CG-DL-E-17082020-221176

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2455] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2020/श्रावण 23, 1942
No. 2455] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2020/SRAVANA 23, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2020

का.आ. 2772(अ).—मंत्रालय की प्रारुप अधिसूचना का.आ. 2634 (अ.), दिनांक 28 जुलाई, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या मंत्रालय के ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य अक्षांश 9⁰43'43.535"उ, 9⁰50'44.589"उ, 9°47'41.894 और 9°46'6.966उ" और देशांतर 77°0'51.790"पू, 76°58'11.657" पू, 76°53'27.638"पू और 77⁰04'28.587'पू के बीच स्थित है और केरल राज्य में ईडुक्की जिला के उदुम्पंचोला, ईडुक्की, पीरूमेडु और थोडुपुझा तालुक में स्थित है। अभयारण्य का कुल विस्तार 105.364 वर्ग किलोमीटर है जिसमें ईडुक्की जलाशय के जल निकाय 33 वर्ग किलोमीटर में शामिल है;

और, क्षेत्र नगरामपारा रिज़र्व वनों का भाग है और पेरियार नदी का जलग्रहण क्षेत्र बनाता है और ईडुक्की हाइडल परियोजना को पूरा करता है। अभयारण्य सरकार आदेश सं.7898/एफएम3/76/एडी दिनांक 9 फरवरी, 1976 के अनुसार 1976 में अधिसूचित किया गया था। क्षेत्र पहले कोट्टयम वन संभाग का भाग था । अभयारण्य वनों का अलग पैच है जो कि विकास प्रकिया और वास खंडन के कारण समीपवर्ती क्षेत्रों से कटा हुआ है। पारिणामस्वरूप भू-दृश्य में समीपवर्ती संरक्षित क्षेत्रों के साथ ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य के जोन प्रवाह संयोजकता पूरी तरह से कट जाता है। पेरियार नदी पर संनिर्मित आर्क बांध भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया में सबसे बड़ा है। 1976 में ईडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विकास के लिए घाटी में लगभग 27 वर्ग किलोमीटर अच्छे वन गिरा दिये गए थे। शेष भूमि को संरक्षित करने के उद्देश्य से जो जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र बनाया है और इस परियोजना के अस्तित्व के लिए अत्यधिक आवश्यक है, उसी वर्ष में जल निकाय के साथ मुख्य भूमि को अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। जलाशय के आसपास का वन वन्यजीवों के लिए एक अनुकूल प्रवास है तथा जैव विविधता में समृद्ध है;

और, ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य अनामुडी हाथी रिज़र्व का भाग है। पौधों की कुल 429 प्रजातियों का संबंध 87 परिवारों (दक्षिणी पश्चिमी घाटों में 37 प्रजातियां स्थानिक है।) से है। अभयारण्य से मुख्य वनस्पति *एंडरोग्राफीस एक्सपलिकाटा, एंड्रोग्रैफिस मैक्रोबोट्रोज, पेरिस्ट्रोफे मनीलाली, यग्रोफिला रिंगेंस, जस्टिसिया विनाडेंसिस, स्ट्रोबिलेंथस बार्बेटस, थुनबेरगिया फ्रागरांस, अल्लेमनिया नोडिफ्लोरा, लान्नेया कोरोमांडेलिका, आर्टाबोट्रोज जेयलानिकस, मिलिउसा टोमेंटोसा, हायड्रोकोटयले जवानिका, कारिस्सा इनेरमिस, पोथोस अरमाटुस, सचेफ्फलेरा* वेनुलोसा, *अरिस्टोलोचिया एक्यूमिनटा, कोसिस्टिग्मा राकेमोसुम, एग्रेटिना एडेनाफोरा, बलुमिया लांकेओलारिया, कोंयजास्टरिकटा, गनाफलिउम* पॉलीक्यूलोन, *फयल्लोकेफलुम फयल्लोलाइनम, वेरनोनिया अलबिकांस, बालानोफोरा फुंगोसा, लमपाटिइस कुसपिडेट, इमपाटिइंस इंकोंसपिकुआ, इमपाटिइंस वेरटिकिल्लाटा,* बॉम्बक्स *इंसिगने, कनारिउम स्टरिकटुम, विबुरनुम पुंकटातुम, मेसुआ फेर्रिया, कोम्बरेतुम लटिफोलिउम, कोम्मेलिना अट्रेनुअटे, कोम्मेलिना इरेकटा, कयानोटिस विल्लोसा,मुरदान्निया सेमिटेरेस, अरगयरेइया पोमाकेया, लपोमोइया कम्पानुलाटा, लपोमोइया पेस-टीगरीडिस,मेर्रेमिया विटिफोलिया, कुकुमिस सतिवुस, मोमोरडिका डिओइका, जानोनिया इंडिका एल.,बुलबोस्टयलिस डेन्सा, सापेरूस कुस्पिडाटुस, फिम्बरिस्टयलिसेरागरोस्टीस, पायकरेउस फलाविडुस, टेटरामेलेस नुडिफ्लोरा, डिओस्कोरिया ओप्पोसितिफोलिया, होपेया परविफ्लोरा, डरोसेरा इंडिका, डिओस्पयरोस इबेनुम, अंटीडेसमा मोनटानुम, बरेयनिया विटीस- आईडिइया, करोटोन मालाबरिकस, इयफोरबिया रोसेया, माकरांगा पेलटाटा, फयल्लांथुस यूरिनारिया, टरागिया बिकोलोर, बउहिनिया रेकेमोसा, केइसालपिनिया कुकुल्लाटा, अकैशिया सिनुअटे,* आर्किडेंड्रोनबिगेमिनम, हाइड्रोकोपरस्पेन्डेंड्रा, *सलाकिया फरूटिकोसा, मोलीनेरिया टरीचोकारपा, अनीसोमेलेस इंडिका, हायपटिस सुअवेओलेंस, ओकिमुम ग्राटीस्सिमुम, टेउकरिउम टोमेंटोसम,लिटेसिया कोरियाकिया, पेरसिया माकरांथा, उटरीकुलारिया ओरिया , लोबेलिया अलसिनोइडेस, स्ट्रीयचनोस नुक्स-वोमिका, रोटाला रोसेया, हिबिस्कस हिस्पीडिस्सिमस,अजाडिराचटा इंडिका, टूना किलिअटा,*

फिकस अस्पलिस्सिमा, फिकस डरूपाकेया, कनेमा एट्टेनुअटा, सिजेगियम कारयोफयल्लातुम, मायक्सोपायरूमसमिलाकिफोलियम, एरीडेस रिंगेंस, कयम्बिडियम अलोइफोलियम, डेंड्रोबियम,पपेरोमिया बलांडा, पिपेर लोंगुम, आदि अभिलिखित की गई हैं*;*

और, ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य से स्तनधारियों की 28 प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं जिसमें लघु पुच्छ वानर (*मकाका रेडियोटा*), नीलगिरी लंगूर (*ट्रेचीपिथेकस जोहनी),* तवांगु *(लोरिस लयड्डडेकेरिअनस),* माउस हिरण (*मोशियोला मेमिन्ना),* मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), सांभर हिरण *(केरवुस* यूनीकोर्लर*)*, बनैला सूअर (*सस स्क्रोफा*), एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सीमूस*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), जंगली कुत्ता *(कुओन अल्पाइंस),* सियार (*कैनिस ऑरियस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), तेंदुआ बिल्ली (*परीओनालीलरूस बेनदालेन्सीस*), फिशिंग कैट (*प्रियनैलुरस विवरिनस*), जंगली बिल्ली *(फेलिस चाउस),* छोटा भारतीय सिवेट (*विवरिकुला इंडिका*), ब्राउन पाम सिवेट (*पैराडॉक्सुरस जेरडोनी*), सामान्य पाम सिवेट *(परदोसुरुषेरमाफ्रोडीतूस),* सामान्य नेवला *(हर्पस्टेस एड्वर्डसी),* भारतीय साल *(मानीस क्रॉसिसौड़ाता),* भारतीय खरगोश*(ब्लैक नेपड खरगोश) (लेपुस निगरीकोल्लिस),* मालाबार विशाल गिलहरी (*रतुफा इंडिका*), सामान्य विशालकाय उड़न गिलहरी (*पेटौरिस्ता फिलीप्पेसिस*), श्री स्टिपेड पाम गिलहरी *(फुनाम्बलुस पाल्मारूम),* साही *(हिस्ट्रीक्स इंडिका),* फुल्वोउस फ्रूट बेत *(रोउसेट्टुस लेस्चेनाउल्टी),* भारतीय फ्लाइंग लोमड़ी *(पटेरोपुस गिगांटेउस),* आदि शामिल हैं*;*

और, अभयारण्य से पक्षी जीव की लगभग 172 प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं जिसमें छोटा ग्रेब (*पोडिसेप्स* रूफिकोल्लिस),लार्ज कॉर्मोरेंट *(फेलाक्रोकॉरेक्स कारबो*), मवेशी इग्रेट (*बुग बुबुलकस इबिस*), ब्लैक शॉल्डेरेट किट (*इलानस कैइरूलेउस*), ब्लैक बाजा (*अविकेडा लेउफोटेस*), यूरेशियन स्पेर्रोव हावक (*अक्सिपिटेर निसुस*), ब्लैक ईगल (*इक्टीनेटुस मालायेंसिस*), केस्टरेल (*फालको टिन्नुंकुलुस*), वाइट ब्रेस्टेड वाटरहेन (*अमाउरोर्निस फोइनिकुरूस*), रिवर टर्न (*स्टर्ना अउरंटिया*), जेरडोन शाही कबूतर (*ड्डकुला बाडिया*), रोज रिंगेड पैराकिट (*पसिट्टाकुला करामेरी*), सामान्य हावक कुककू (*कुकुलुस क्सारिउस*), कूउकल (*क्रौव तीतर*) (*सेंट्रोपस साइनेंसिस*), वन ईगल उल्लू(*बुबो निपालेंसिस*), स्विफ्टलेट, पाल्म स्विफ्ट (*कयपसिउरूस परवुस*), मालाबार ट्रागौन (*हार्पेक्टस फसकिअटस),* चेस्टनुस हेडेड बी-ईटर (*मेरोपस लेस्चेनाउलटी*), हूपोइ (उपुपा इपोपस), कोप्पेरस्मिथ बारबेत (*मेगालाइमा हेइमाकेफला*), लेस्सेर गोल्डन ब्लैकडवूडपैककेर (*डिनोपियम बेंघालेंसे*), वाइट बेल्लिड वूडपेस्कर (*डरयोकोपुस जवेनिस*), बारन स्वाल्लो (*हीरूंडो रूस्टीका*), बाय बाक्केड शिक्रे (*लनिउस विट्टाटुस*), ब्लैक हेडेड ओरिओले (ओरीओलुस क्संथोनुस), बरोंजेड ड्रोंगो (*डिकरूरूस एइनेउस*), सामान्य मैना (*अकरिडोथेरेस टरीस्टीस*), हाउस क्रौव (*कोरवउस स्पलेंडेंस*), सामान्य वूड श्रिक (*टेफरोडोर्निस पोंडीकेरीअनुस*), सामान्य इओरा (*ऐगिथिना टिफिया*), रेड व्हिस्क्रेड बुलबुल (*पाइकोनोटस जोकोसुस*), येलो थ्रोटेड बुलबुल (*पायकनोनोटुस क्रथोलाइमुस*), ब्लैक *हेडेड* बाब्बलेर (*रहोपोकिचला* अटरिसेप्स), बरोवन ब्राउन ब्रेस्टेडफ्लैकाचेर (*मुसकिका मुट्टउइ*), वेरडीटेर फ्लैकाचेर (*इयमयिअस थालास्सिना*), पाराडिसे *फ्लैकाचेर* (*टेरप्सिफोने पाराडिसि*), टैलोर बर्ड (*ओरथोटोमस सुटोरिउस*), ग्रैरैनिस लैफ वार्बलेर (*फयल्लोस्कोपुस ट्रोचिलोइडेस*), भारतीय रोबिन (*साक्कोलोइडेस फुलिकाटा*),ब्लैकबर्ड (*टर्डस मेरूला),*नीलगिरी पिपिट (*अंथुस निलघीरीइंसिस*), ग्रे वैगटल (*मोटाकिल्ला किनेरेया*),टिककैल फ्लोवर पेक्कर (*डिकेइउसम एरीथ्रोरिन्चोस*), सनबर्ड (*नेक्टारिनिया असिटिका*), ब्लैक हेड्डेड मुनिया (*लोचुरा मालाक्का*),आदि शामिल हैं;

और, ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में तितलियों की लगभग 112 प्रजातियां (पश्चिमी घाट में 12 स्थानिक), सरीसृपों की 55 प्रजातियां, मछलियों की 30 प्रजातियां और उभयचरों की 28 प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें दक्षिण बर्डविंग (*ट्रोइड्स मिनोस*),सामान्य रोज (*पाचलिओप्टा अरीस्टोलोचीइ*), लिमे(*पापिलिओ डेमोलेउस*), क्रिमसोन

रोज (*पाचलिओपटा हेक्टोर*), श्री स्पोट ग्रास येल्लो (*इयरेमा बलांडा*), ग्रेट ओरांजे टीप (*हेबोमोइया गलायकिप्पे*), सामान्य बुस ब्राउन (*मयकालेसिस पेरसेउस*), सामान्य फिवेरिंग (*यपतिमा बालडुस*), सामान्य साइलेर (*नेप्टीस हयलास*), ग्रेय कूउंट (*टनाइकिया लेपिडेया*), मोर पैंसी (*जुनोनिया अलमाना*), ग्रेट इग्ग फलय (*हायपोलिमनास बोलिना*), स्ट्रीपेड और सामान्य बाघ (*डानाउस गेनुटिया*), ब्लैक वेइन सेरगेअंट (*अथयमा रांगा*), सामान्य हेडगे ब्लू (*अकटोलेपिस पुस्पा*), टिंय ग्रास ब्लू (*जिजुला हायलक्स*), सामान्य अकाकिया ब्लू (*सुरेंद्रा क्यूइकेटोरूम*), सामानय लिने ब्लू (*परोसोटस होरा*), सामान्य स्पोट्टेड फ्लाट (*केलाइनोरहीनुस लेउकोकेरा*), ग्रास डेमोन (*उदास्पेस फोलुस*), भारतीय रॉक *पाइथन* (*पाइथन मोलुरूस*), किंग कोबरा (*ओफियोफैगुस हन्नाह*),ओलिवेसियस केलबैक *(एटरेटियम शिस्टोसुम)*, मॉन्टेन कीलबैक *(एम्फीसेमा मोंटिकोला)*, ट्रावनकोरी कुकरी स्नेक (*ओलीगोडन ट्रैकोनसोरस)*, रूस्सेल सैंड बोआ (*इरयक्स कोनिका*), ब्लैक हेड्डेड स्नेक (*सिबयनोफिस सुबफंकटाटुस),* सामान्य करैत (*बुंगारूस कैइरूलेउस*), बम्बौ पिट विपेर (*टरीमेरेसुरूस स्पा*), भारतीय ब्लैक कछुआ (*मेलानोचेलयस टरीजुगा*), बरॉक गेकको (*हेमिदाकटयलुस बरौकी*), भारतीय ग्राडन *छिपकली* (*कलोटेस वेरसिकोलास*), सामान्य मॉनिटर छिपकली *(वरानस बैंगालिसिस)*, डुस्सुमिइर लिटेरस्किनक (*स्फेनोमोरफुस डुस्सुमिइरी*), बेड्डूम दक्षिण भारतीय *स्किंक* (*मबुया बेड्डोमेइ*), *डट्टाफरयनुस बेड्डोमि, डुट्टाफरयनुस हूलोलिउस, डुट्टाफरयनुस* साइलेंटवाल्ले *यॅंसिस, फेजेरवारया केरालेंसिस, नयकटिबाटराचुस बेडडोमि, इंद्रीराना बेडडोमि, राओर्चेस्टेस बेड्डोमि, रहाकोफोरूस मालाबारिकस, बारीलिउस कनारेंसिस, बारिलिउस गटेंसिस, टोर खुदरे, गर्रा मुल्लया, स्चिस्तुरा डेनिसोनि डेनिसोनी, मायस्तुस मोनटानुस,क्रेंटोडोन कंनेंटोडोन कंकिला, पसेउडोस्फरोमेनुस कुपानुस,चान्ना स्टरीअटा*, आदि शामिल हैं;

और, ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आर ई टी) प्रजातियां मालाविरिंजी (*अकटीनोडाफने मालाबारिका*), चूरामुल्लू (*स्मिलक्स विघथि*), पेरेलाम (*अमोमूम पटेरोकेरपुम*), न्यू गुइनेया रोजवूड (*डीपटेरोकरपुस इंडिकस*), पुरिप्पा, वेल्लाकिलि (*डयसोक्सलुम बेड्डोमेइ*), माला इलांगी (*चिओनांथोस मालाइलेंगी*), जंगली डॉग (*कोनल पिनुस*), बाघ (*पेन्थेरा* टिगरिस), एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सीमूस*), भारतीय साल *(मानिस क्रैसिकाउडाटा*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्यूस*), रीछ *(मेलर्सस अरसिनस*), मानिंजैल (औगुइल्ला बेंगालेंसिस), आदि हैं;

और, ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को निषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1)तथा धारा 3 की उपधारा (2) खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के ईडुक्की जिला के ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 450 मीटर से 1.00 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 450 मीटर से 1.00 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 88.238 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें से 24.317 वर्ग किलोमीटर

कृषि भूमि और बाकी कोट्टयम वन संभाग में नगरापारा रिज़र्व और कोथामंगलम वन संभाग में थोडुपुझा रिज़र्व शामिल है। अभयारण्य की विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:-

दिशा	**विस्तार (किलोमीटर)**
उत्तर	0.45 से 1.00
उत्तर - पूर्व	1.00
पूर्व	1.00
दक्षिण -पूर्व	1.00
दक्षिण	1.00
दक्षिण -पश्चिम	1.00
पश्चिम	1.00
उत्तर- पश्चिम	0.45 से 1.00

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख** और **उपाबंध-IIग** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में निषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत्य नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत्य किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ-4 में उल्लिखित क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत्य नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि ऐसे क्षेत्रों में और इनके आस-पास विकास क्रियाकलापों को निषिद्ध रखा जाए ।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए तय पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत्य होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत्य नहीं होगा:

बशर्ते, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत्य होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों

तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत्य किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत्य नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत्य किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत्य किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुमत्य नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुमत्य होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	क. निषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध होगी। (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार निषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार निषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार निषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत्य नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार निषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुमत्य नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और

		लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत्य नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा गैर-खतरनाक लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत्य होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियमों और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

	संरक्षण ।	
18.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत्य होंगे।
20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों को विनियमित और निगरानी सख्ती ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.सं.	**निगरानी समिति का गठन**	**पद**
(i)	जिला कलेक्टर, ईडुक्की	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	विधान सभा के सदस्य, ईडुक्की	सदस्य;
(iii)	विधान सभा के सदस्य, पीरूमेडु	सदस्य;
(iv)	विधान सभा के सदस्य, उदुम्बानचोला	सदस्य;
(v)	अध्यक्ष, जिला पंचायत, ईडुक्की	सदस्य;
(vi)	केरल सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	केरल सरकार द्वारा राज्य में विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित संस्थान से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य;
(ix)	केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला अधिकारी	सदस्य;
(x)	वन्यजीव वार्डन, ईडुक्की वन्यजीव प्रभाग	सदस्य- सचिव

6.विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा

संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्यो के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/106/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी

उपाबंध- I

क. केरल राज्य में कोट्टीयूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

दिशा	सीमा विवरण
उत्तर	सीमा चेरूथोनी बांध के बाएं तट की तरफ से आरंभ होती है, बांध के साथ अंत तक जाती है और इसके बाद ईडुक्की जलाशय के एफ आर एल की उत्तरी सीमा के साथ गुजरती है जो कि ईडुक्की आर्क बांध- के उत्तर पश्चिमी कोण से मिलती है और इसके बाद एफ आर एल के साथ यह कट्टाप्पाना नदी तक जाती है।
पूर्व	यहां यह कट्टाप्पाना नदी को पार करती है और झील की एफ आर एल सीमा के साथ कल्लार सागौन बागान के दक्षिण पूर्वी कोण तक पहुंचती है।
दक्षिण	यह कल्लार सागौन बागान की दक्षिणी सीमा से होते हुए कन्नामपदी थोडु तक पहुंचती है और इसके बाद सीधी रेखा में कमोवेश पश्चिम की ओर जाती है जहां यह चेरूथोनी जलाशय एफ आर एल के दक्षिण पूर्वी कोण से मिलती है और इसके बाद मालायट्टूर वन संभाग सीमा तक पश्चिमी दिशा में एफ आर एल के दक्षिणी भाग के साथ जाती है।
पश्चिम	यह झील की एफ आर एल सीमा के साथ जाती है और आरंभिक बिंदु तक पहुंचती है। अभयारण्य के तीन भाग (उत्तर, पूर्व और पश्चिम) झील के एफ आर एल द्वारा सीमांकित है और चौथा भाग (दक्षिण) रिज़र्व सीमा के साथ स्थायी स्तूप के साथ सीमांकित है।

ख: केरल राज्य में ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	उत्तरी सीमा बिंदु संख्या 22 (76° 55' 54.380" पू 9° 50' 39.892" उ (थोडुपुझा- पुलियान – माला सड़क) से आरंभ होती है और यह बिंदु संख्या 23 (76° 56' 43.929" पू 9° 51' 4.738" उ) से होते हुए जाती है । बिंदु संख्या 23 (76° 56' 43.929" पू 9° 51' 4.738" उ) से, इसके बाद यह बिंदु संख्या 24 (76° 57' 34.587" पू 9° 50' 24.656" उ). के के. एस.ई.बी सड़क से होते हुए जाती है। बिंदु संख्या 24 (76° 57' 34.587" पू 9° 50' 24.656" उ) से बिंदु संख्या 25 (76° 58' 59.467" पू 9° 50' 45.408" उ) तक नगरामपारा रिज़र्व से होते हुए जाती है।
उत्तर - पूर्व	उत्तर- पूर्वी सीमा बिंदु संख्या 25 (76° 58' 59.467" पू 9° 50' 45.408" उ) से बिंदु संख्या 26 (77° 0' 11.128" पू 9° 49' 39.919" उ) तक से आरंभ होती है जो थोडुपुझा- पुलियामाला सड़क से होते हुए जाती है। बिंदु संख्या 26(77° 0' 11.128" पू 9° 49' 39.919" उ)से बिंदु संख्या28 (77° 2' 51.038" पू 9° 48' 3.257" उ) तक कुरावन माला (अय्याप्पानकोवील श्रेणी) से होते हुए जाती है।
पूर्व	बिंदु संख्या 28(77° 2' 51.038" पू 9° 48' 3.257" उ) से बिंदु संख्या 1, 2, 3(77° 4' 59.391" पू 9° 45' 38.073" उ) तक आरंभ होती है अय्याप्पानकोवील श्रेणी से होते हुए जाती है।
दक्षिण - पूर्व	बिंदु संख्या 3(77° 4' 59.391" पू 9° 45' 38.073" उ) से बिंदु संख्या 8 (77° 2' 2.322" पू 9° 42' 41.483" उ) अय्याप्पानकोवील श्रेणी और कंचीयर ग्राम तक आरंभ होती है।
दक्षिण	बिंदु संख्या 8 (77° 2' 2.322" पू 9° 42' 41.483" उ) से बिंदु संख्या 13 (76° 55' 54.702" पू 9° 43' 5.500" उ) तक आरंभ होती है अय्याप्पानकोवील श्रेणी और उप्पुथार, वागाकोन और अय्याप्पानकोवील राजस्व श्रेणी से होते हुए जाती है
दक्षिण-पश्चिम	बिंदु संख्या 13 (76° 55' 54.702" पू 9° 43' 5.500" उ) से बिंदु संख्या 15 (76° 53' 29.252" पू 9° 46' 22.734" उ) तक वागामोन और अराक्कुलम ग्राम से होते हुए जाती है। बिंदु संख्या 15 (76° 53' 29.252" पू 9° 46' 22.734" उ) से बिंदु संख्या 16 (76° 53' 29.252" पू 9° 46' 22.734" उ) तक नगरामपारा रिज़र्व वन की दक्षिणी सीमा से होते हुए जाती है।
पश्चिम	बिंदु संख्या 16 (76° 53' 29.252" पू 9° 46' 22.734" उ) से बिंदु संख्या 17(76° 53' 23.916" पू 9° 47' 30.769" उ) तक नचार की जल विभाजक सीमा और नदुकनीमाला के रिज के चेरू थोनी नदी से होते हुए जाती है और यह अराकुलम ग्राम से होते हुए पुलियनमाला-थोडुपुझा सड़क पहुंचती है। बिंदु संख्या 17 (76° 53' 23.916" पू 9° 47' 30.769" उ) से बिंदु संख्या 19 (76° 53' 39.951" पू 9° 49' 3.391" उ) अन्नची वालावु के थोडुपुझा–पुलियनमाला सड़क अन्नाची वालावु सीधी रेखा से पारामादा तक होते हुए जाती है जो कि कोयीपल्ली और मुधी पुरूनदा थुडु को पार करके थोडुपुझा- पुलियानमाला सड़क में स्थित है ।
उत्तर-पश्चिम	बिंदु संख्या19 (76° 53' 39.951" पू 9° 49' 3.391" उ) से बिंदु संख्या 22 (76° 55' 54.380" पू 9° 50' 39.892" उ)तक थोडुपुझा- पुलियानमाला सड़क (दाएं भाग) से होते हुए जाती है।

उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र

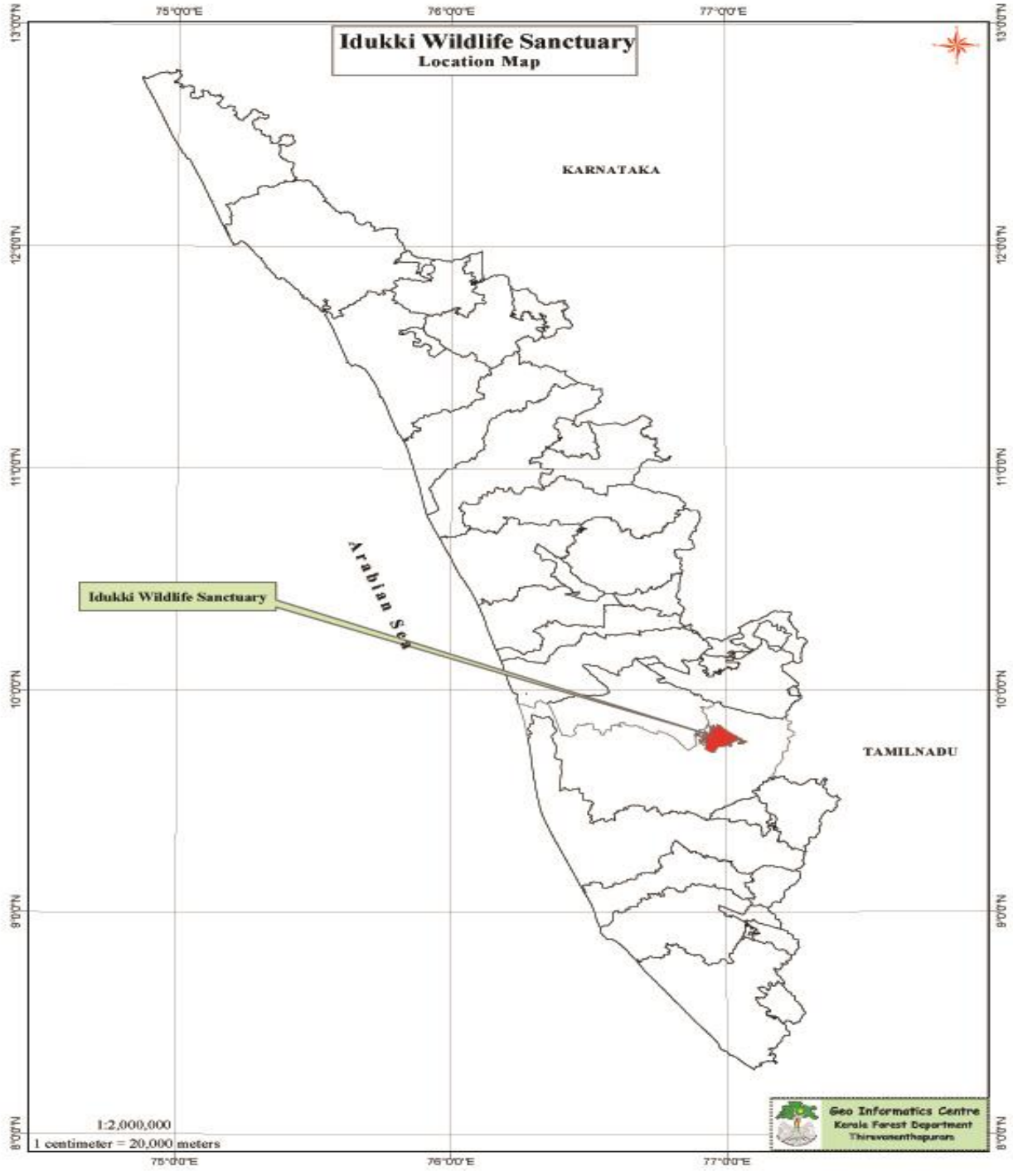

उपाबंध-IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

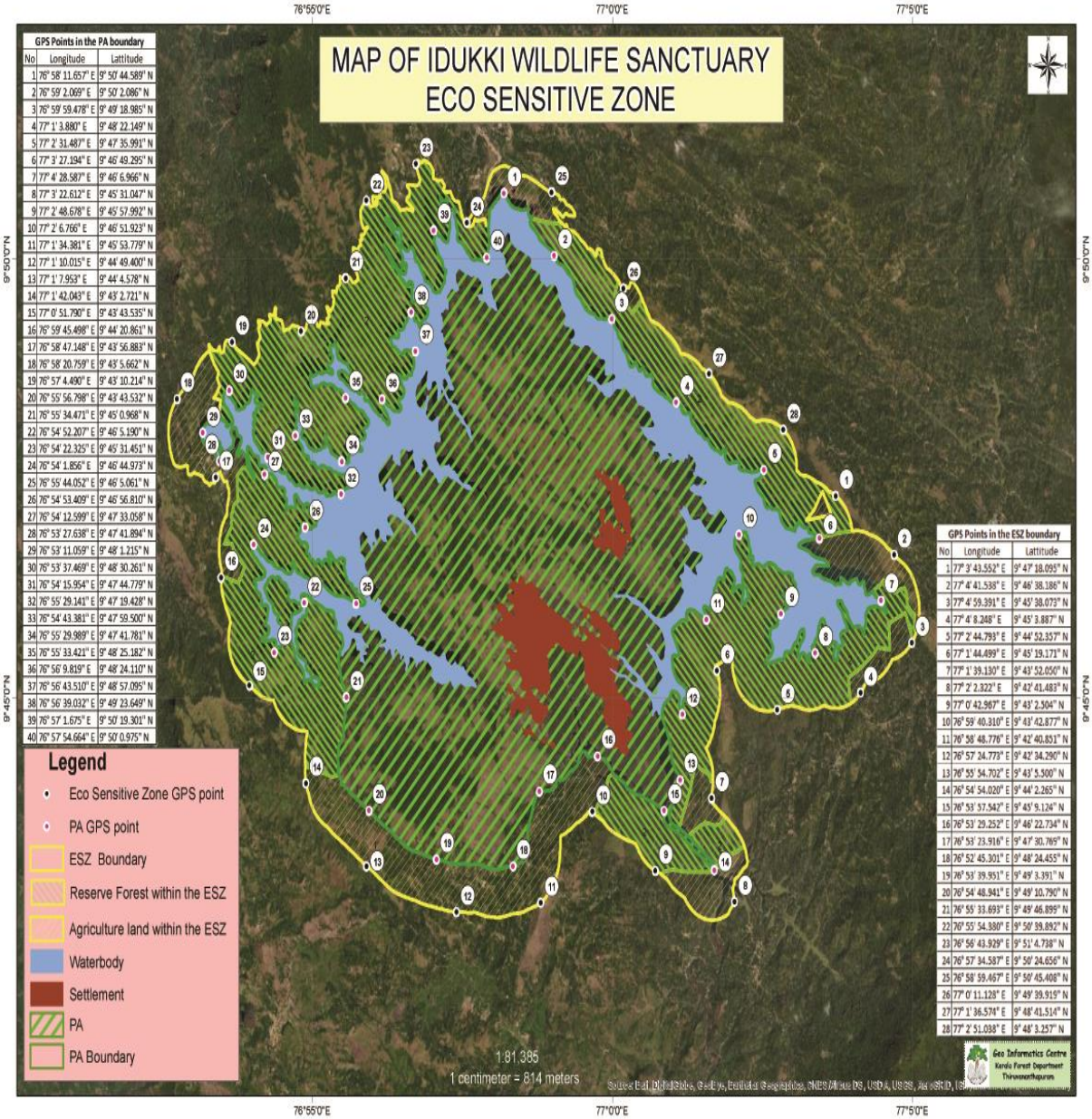

उपाबंध- IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

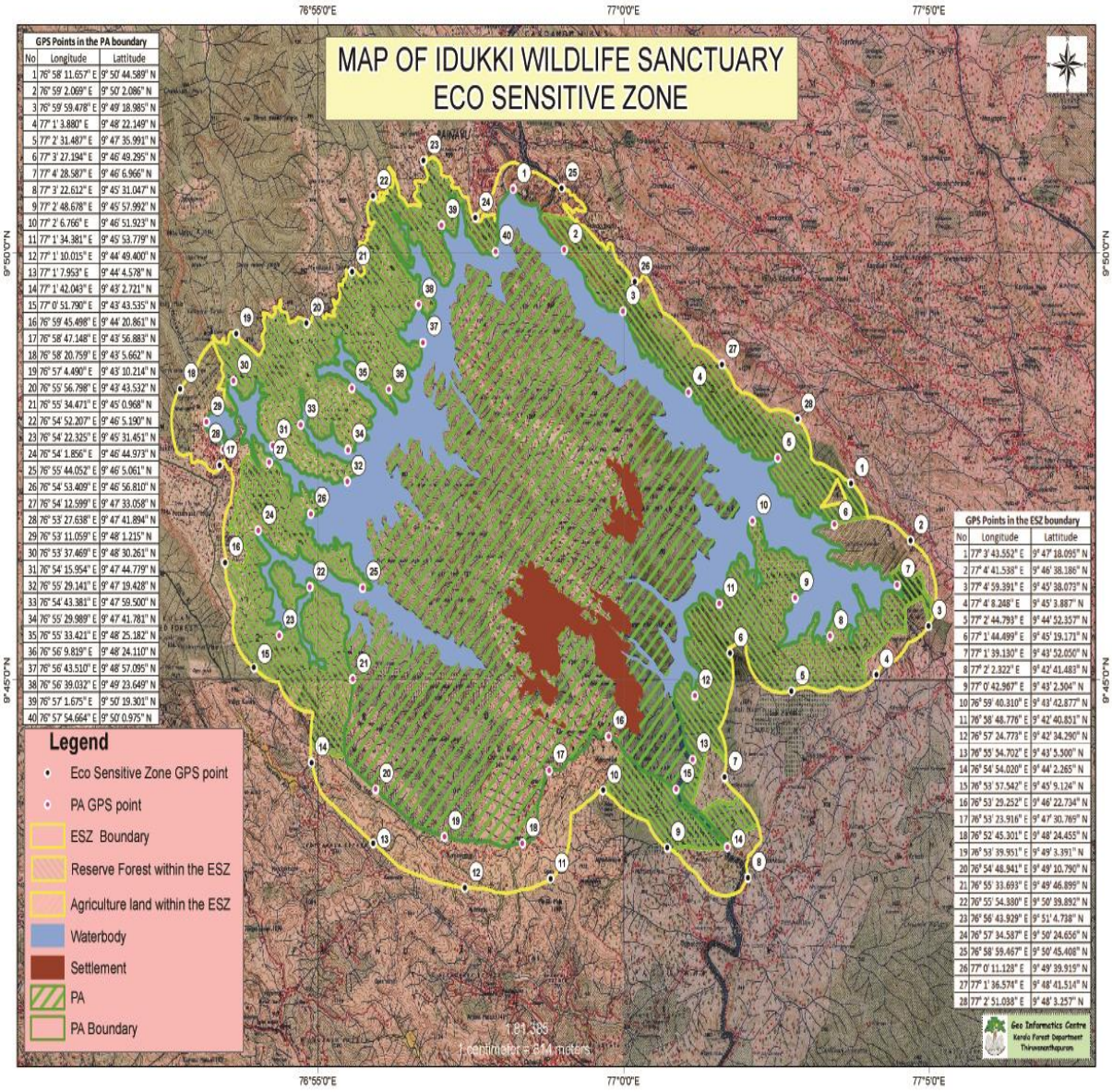

उपाबंध-III

सारणी क: ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं के अवस्थान/दिशा	अक्षांश(उ) डी एम एस प्रारूप	देशांतर(पू) डी एम एस प्रारूप
1	चेरूथोनी बांध	उत्तर	9° 50' 44.589" उ	76° 58' 11.657" पू
2	इडुक्की बांध	उत्तर	9° 50' 2.086" उ	76° 59' 2.069" पू
3	नाराकाकानाम	उत्तर पूर्व	9° 49' 18.985" उ	76° 59' 59.478" पू
4	कलवारय माउंट	उत्तर पूर्व	9° 48' 22.149" उ	77° 1' 3.880" पू
5	कालयानाथंडु	उत्तर पूर्व	9° 47' 35.991" उ	77° 2' 31.487" पू
6	कालयानाथंडु	पूर्व	9° 46' 49.295" उ	77° 3' 27.194" पू
7	अंचूरूलय	पूर्व	9° 46' 6.966" उ	77° 4' 28.587" पू
8	अंचूरूलय	दक्षिण पूर्व	9° 45' 31.047" उ	77° 3' 22.612" पू
9	अंचूरूलय	दक्षिण पूर्व	9° 45' 57.992" उ	77° 2' 48.678" पू
10	अनापाल्लाम	दक्षिण पूर्व	9° 46' 51.923" उ	77° 2' 6.766" पू
11	कोझीमाला सागौन बागान	दक्षिण पूर्व	9° 45' 53.779" उ	77° 1' 34.381" पू
12	कोझीमाला	दक्षिण पूर्व	9° 44' 49.400" उ	77° 1' 10.015" पू
13	कोझीमाला सागौन बागान	दक्षिण पूर्व	9° 44' 4.578" उ	77° 1' 7.953" पू
14	अय्याप्पानकोविल मंदिर	दक्षिण पूर्व	9° 43' 2.721" उ	77° 1' 42.043" पू
15	मुथाम्पाडी	दक्षिण पूर्व	9° 43' 43.535" उ	77° 0' 51.790" पू
16	वनमावय	दक्षिण	9° 44' 20.861" उ	76° 59' 45.498" पू
17	कोट्टापारा	दक्षिण	9° 43' 56.883" उ	76° 58' 47.148" पू
18	ओट्टामाराम्पारा	दक्षिण	9° 43' 5.662" उ	76° 58' 20.759" पू
19	7 खंड	दक्षिण	9° 43' 10.214" उ	76° 57' 4.490" पू
20	कान्नामकायाम	दक्षिण पश्चिम	9° 43' 43.532" उ	76° 55' 56.798" पू
21	मुथुचोला	दक्षिण पश्चिम	9° 45' 0.968" उ	76° 55' 34.471" पू
22	मुथुचोला	दक्षिण पश्चिम	9° 46' 5.190" उ	76° 54' 52.207" पू
23	ओंथुमाला	दक्षिण पश्चिम	9° 45' 31.451" उ	76° 54' 22.325" पू
24	नेल्लीक्कापारा	दक्षिण पश्चिम	9° 46' 44.973" उ	76° 54' 1.856" पू
25	काप्पाकानाम	दक्षिण पश्चिम	9° 46' 5.061" उ	76° 55' 44.052" पू
26	काप्पाकानाम	पश्चिम	9° 46' 56.810" उ	76° 54' 53.409" पू
27	के एस ई बी कॉलोनी, कुलामावय बांध	पश्चिम	9° 47' 33.058" उ	76° 54' 12.599" पू

28	कुलामवय	पश्चिम	9° 47' 41.894" उ	76° 53' 27.638" पू
29	कुलामवय	पश्चिम	9° 48' 1.215" उ	76° 53' 11.059" पू
30	कुलामवय	पश्चिम	9° 48' 30.261" उ	76° 53' 37.469" पू
31	वाइरामानी	पश्चिम	9° 47' 44.779" उ	76° 54' 15.954" पू
32	कुदावायरूट्टी	पश्चिम	9° 47' 19.428" उ	76° 55' 29.141" पू
33	चेरी ओली	पश्चिम	9° 47' 59.500" उ	76° 54' 43.381" पू
34	चेरी ओली	पश्चिम	9° 47' 41.781" उ	76° 55' 29.989" पू
35	पप्पान ओली	पश्चिम	9° 48' 25.182" उ	76° 55' 33.421" पू
36	पप्पान ओली	पश्चिम	9° 48' 24.110" उ	76° 56' 9.819" पू
37	मीनमुट्टी	उत्तर पश्चिम	9° 48' 57.095" उ	76° 56' 43.510" पू
38	इरीक्कामान्तु	उत्तर पश्चिम	9° 49' 23.649" उ	76° 56' 39.032" पू
39	पाइनावय	उत्तर	9° 50' 19.301" उ	76° 57' 1.675" पू
40	वेल्लाप्पारा	उत्तर	9° 50' 0.975" उ	76° 57' 54.664" पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं के अवस्थान/दिशा	अक्षांश(उ) डी एम एस प्रारूप	देशांतर(पू) डी एम एस प्रारूप
1	कल्यानाथंडू	पूर्व	9° 47' 18.095" उ	77° 3' 43.552" पू
2	अंचूरूलय तुन्नेल	पूर्व	9° 46' 38.186" उ	77° 4' 41.538" पू
3	अंचुरूलय	पूर्व	9° 45' 38.073" उ	77° 4' 59.391" पू
4	कंचीयर	दक्षिण पूर्व	9° 45' 3.887" उ	77° 4' 8.248" पू
5	कोझीमाला	दक्षिण पूर्व	9° 44' 52.357" उ	77° 2' 44.793" पू
6	माट्टाप्पाल्ली	दक्षिण पूर्व	9° 45' 19.171" उ	77° 1' 44.499" पू
7	कोविलमाला	दक्षिण पूर्व	9° 43' 52.050" उ	77° 1' 39.130" पू
8	अय्याप्पानकोविल	दक्षिण पूर्व	9° 42' 41.483" उ	77° 2' 2.322" पू
9	अय्याप्पानकोविल	दक्षिण	9° 43' 2.504" उ	77° 0' 42.967" पू
10	वनमावय	दक्षिण	9° 43' 42.877" उ	76° 59' 40.310" पू
11	कप्पीपारा	दक्षिण	9° 42' 40.851" उ	76° 58' 48.776" पू
12	कुमारीकुलम	दक्षिण	9° 42' 34.290" उ	76° 57' 24.773" पू
13	कोट्टामाला	दक्षिण	9° 43' 5.500" उ	76° 55' 54.702" पू
14	अम्बालामेडु	दक्षिण पश्चिम	9° 44' 2.265" उ	76° 54' 54.020" पू
15	मुल्लाकनाम	दक्षिण पश्चिम	9° 45' 9.124" उ	76° 53' 57.542" पू

16	नेल्लीक्कापारा	दक्षिण पश्चिम	9° 46' 22.734" उ	76° 53' 29.252" पू
17	कुलामवय	पश्चिम	9° 47' 30.769" उ	76° 53' 23.916" पू
18	कोझीपाल्लय	पश्चिम	9° 48' 24.455" उ	76° 52' 45.301" पू
19	मुथीयरूंदायार	पश्चिम	9° 49' 3.391" उ	76° 53' 39.951" पू
20	चेरी	उत्तर पूर्व	9° 49' 10.790" उ	76° 54' 48.941" पू
21	मीनमुट्टी	उत्तर पूर्व	9° 49' 46.899" उ	76° 55' 33.693" पू
22	कुयीमाला	उत्तर पूर्व	9° 50' 39.892" उ	76° 55' 54.380" पू
23	पैनावउ	उत्तर	पू 9° 51' 4.738" उ	76° 56' 43.929" पू
24	चेरूथोनी	उत्तर	9° 50' 24.656" उ	76° 57' 34.587" पू
25	ईडुक्की	उत्तर	9° 50' 45.408" उ	76° 58' 59.467" पू
26	नाराकाकानाम	उत्तर पूर्व	9° 49' 39.919" उ	77° 0' 11.128" पू
27	कलवारी मांउट	उत्तर पूर्व	9° 48' 41.514" उ	77° 1' 36.574" पू
28	वझावारा	उत्तर पूर्व	9° 48' 3.257" उ	77° 2' 51.038" पू

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तहसील /तालुका	जीपीएस निर्देशांक	
				अक्षांश	देशांतर
1	उप्पुथारा	उप्पुथारा	पीरूमेडु	उ 9^0 41’47.77	पू 077^0 01’35.24
2	वगामोन	वागामोन	पीरूमेडु	उ 9^0 40’11.54	पू 076^0 57’14.33
3	अय्याप्पानकोविल	अय्याप्पानकोविल	उडुमबांछोला	उ 9^0 41’56.37	पू 076^0 56’59.30
4	कंचियार	कंचियार	ईडुक्की	उ 9^0 44’24.74	पू 077^0 03’48.23
5	ईडुक्की	ईडुक्की	ईडुक्की	उ 9^0 59’34.01	पू 073^0 31’34.64
6	अराक्कुलम	अराक्कुलम	थोडुपुझा	उ 9^0 48’37.82	पू 076^0 49’45.93

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्रः

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2020

S.O. 2772(E). —In supersession of Ministry's draft notification S.O. 2634 (E), dated 28th July, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Idukki Wildlife Sanctuary is located between latitudes $9^0$43'43.535"N, $9^0$50'44.589"N, 9°47'41.894 and 9°46'6.966N" and longitudes 77°0'51.790"E, 76°58'11.657" E, 76°53'27.638"E and $77^0$04'28.587'E and is situated in Udumpanchola, Idukki, Peerumedu and Thodupuzhataluk of Idukki district in the state Kerala. The total extent of the Sanctuary is 105.364 square kilometers which includes 33 square kilometers water body of the Idukki Reservoir;

AND WHEREAS, the area is a part of Nagarampara Reserve Forests and forms the catchment area of Periyar River and caters to ldukki Hydel Project. The Sanctuary was notified in 1976 as per Government Order No.7898/FM3/76/AD dated 9th February 1976. The area was previously part of Kottayam Forest Division. The Sanctuary is an isolated patch of forests which was cut off from the adjacent areas due to development process and habitat destruction. As a result the gene flow connectivity of Idukki Wildlife Sanctuary with the adjacent Protected Areas in the landscape is totally cut off. The arch dam constructed across Periyar River is the first of its kind in India and the biggest in Asia. Nearly 27 square kilometers of good forest in the valley was felled for the development of Idukki Hydro Electric Project in 1976. With the intention of conserving the remaining land which forms the catchment of the reservoir and is highly necessary for the existence of this project, the mainland along with the water body was notified as a Sanctuary in the same year. The forest surrounding the reservoir forms a conducive habitat for wildlife and is rich in biodiversity;

AND WHEREAS, the Idukki Wildlife Sanctuary is part of Anamudi Elephant Reserve. A total of 429 species of plants belonging to 87 families (37 species are endemic to Southern Western Ghats). The major flora recorded from the Sanctuary are *Andrographis explicata, Andrographis macrobotrys, Peristrophe manilalii, ygrophila ringens, Justicia wynaadensis, Strobilanthus barbatus, Thunbergia fragrans, Allmania nodiflora, Lannea coromandelica, Artabotrys zeylanicus, Miliusa tomentosa, Hydrocotyle javanica, Carissa inermis, Pothos armatus, Schefflera venulosa, Aristolochia acuminata, Cosmostigma racemosum, Ageratina adenophora, Blumea lanceolaria, Conyza stricta, Gnaphalium polycaulon, Phyllocephalum phyllolaenum, Vernonia albicans, Balanophora fungosa, Impatiens cuspidate, Impatiens inconspicua, Impatiens verticillata,*

Bombax insigne, Canarium strictum, Viburnum punctatum, Mesua ferrea, Combretum latifolium, Commelina attenuate, Commelina erecta, Cyanotis villosa, Murdannia semiteres, Argyreia pomacea, Ipomoea campanulata, Ipomoea pes-tigridis, Merremia vitifolia, Cucumis sativus, Momordica dioica, Zanonia indica L., Bulbostylis densa, Cyperus cuspidatus, Fimbristyliseragrostis, Pycreus flavidus, Tetrameles nudiflora, Dioscorea oppositifolia, Hopea parviflora, Drosera indica, Diospyros ebenum, Antidesma montanum, Breynia vitis-idaea, Croton malabaricus, Euphorbia rosea, Macaranga peltata, Phyllanthus urinaria, Tragia bicolor, Bauhinia racemosa, Caesalpinia cucullata, Acacia sinuate, Archidendronbigeminum, Hydnocarpuspentandra, Salacia fruticosa, Molineria trichocarpa, Anisomeles indica, Hyptis suaveolens, Ocimum gratissimum, Teucrium tomentosum, Litsea coriacea, Persea macrantha, Utricularia aurea, Lobelia alsinoides, Strychnos nux-vomica, Rotala rosea, Hibiscus hispidissimus, Azadirachta indica, Toona ciliata, Ficus amplissima, Ficus drupacea, Knema attenuate, Syzygium caryophyllatum, Myxopyrumsmilacifolium, Aerides ringens, Cymbidium aloifolium, Dendrobium, Peperomia blanda, Piper longum, etc;

AND WHEREAS, Idukki Wildlife Sanctuary recorded 28 species of mammals including bonnet macaque (*Macaca radiata),* Nilgiri langur (*Trachypithecus johni),* slender loris (*Loris lyddekerianus),* mouse deer (*Moschiola meminna),* barking deer (*Muntiacus muntjak),* sambar deer (*Cervus unicolor),* wild boar (*Sus scrofa),* Indian elephant (*Elephas maximus),* sloth bear (*Melursus ursinus),* wild dog (*Cuon alpinus),* jackal (*Canis aureus),* leopard (*Panthera pardus),* leopard cat (*Prionailurus bengalensis),* fishing cat (*Prionailurus viverrinus),* jungle cat (*Felis Chaus),* small Indian civet (*Viverricula indica),* brown palm civet (*Paradoxurus jerdoni),* common palm civet (*Paradoxurushermaphroditus),* common mongoose (*Herpestes edwardsi),* Indian pangolin (*Manis crassicaudata),* Indian hare (black naped hare) (*Lepus nigricollis),* malabar giant squirrel (*Ratufa indica),* common giant flying squirrel (*Petaurista philippensis),* three striped palm squirrel (*Funambulus palmarum),* Indian porcupine (*Hystrix indica),* fulvous fruit bat (*Rousettus leschenaulti),* Indian flying fox (*Pteropus giganteus),* etc;

AND WHEREAS, about 172 species of avifauna are recorded from the Sanctuary which includes little grebe (*Podiceps ruficollis),* large cormorant (*Phalacrocorax carbo),* cattle egret (*Bubulcus ibis),* black shouldered kite (*Elanus caeruleus),* black baza (*Aviceda leuphotes),* eurasian sparrow hawk (*Accipiter nisus),* black eagle (*Ictinaetus malayensis),* kestrel (*Falco tinnunculus),* white breasted waterhen (*Amaurornis phoenicurus),* river tern (*Sterna aurantia),* jerdon's imperial pigeon (*Ducula badia),* rose ringed parakeet (*Psittacula krameri),* common hawk cuckoo (*Cuculus Xarius),* coucal (crow pheasant) (*Centropus sinensis),* forest eagle owl (*Bubo nipalensis),* swiftlet (*),* palm swift (*Cypsiurus Parvus),* malabar trogon (*Harpactes fasciatus),* chestnut headed bee-eater (*Merops leschenaulti),* hoopoe (*Upupa epops),* coppersmith barbet (*Megalaima haemacephala),* lesser golden backedwoodpecker (*Dinopium benghalense),* white belliedwoodpecker (*Dryocopus javenis),* barn swallow (*Hirundo rustica),* bay backed shrike (*Lanius vittatus),* black headed oriole (*Oriolus xanthornus),* bronzed drongo (*Dicrurus aeneus),* common myna (*Acridotheres tristis),* house crow (*Corvus splendens),* common wood shrike (*Tephrodornis pondicerianus),* common iora (*Aegithina tiphia),* red whiskered bulbul (*Pycnonotus jocosus),* yellow throated bulbul (*Pycnonotus xantholaemus),* black headed babbler (*Rhopocichla atriceps),* brown breastedflycatcher (*Muscicapa muttui),* verditer flycatcher (*Eumyias thalassina),* paradise flycatcher (*Terpsiphone paradisi),* tailor bird (*Orthotomus sutorius),* greenish leaf warbler (*Phylloscopus trochiloides),* Indian robin (*Saxicoloides fulicata),* blackbird (*Turdus merula),* Nilgiri pipit (*Anthus nilghiriensis),* grey wagtail (*Motacilla cinerea),* tickell's flower pecker (*Dicaeum erythrorhynchos),* purple sunbird (*Nectarinia asiatica),* black headed munia (*Lochura malacca),* etc;

AND WHEREAS, there are about 112 species of butterflies (12 endemic to Western Ghats), 55 species of reptiles, 30 species of fishes and 28 species of amphibians are found from Idukki Wildlife Sanctuary which includes southern birdwing (*Troides minos),* common rose (*Pachliopta aristolochiae),* lime (*Papilio demoleus),* crimson rose (*Pachliopta hector),* three spot grass yellow (*Eurema blanda),* great orange tip (*Hebomoia glaucippe),* common bush brown (*Mycalesis perseus),* common fivering (*Ypthima baldus),* common sailer (*Neptis hylas),* grey count (*Tanaecia lepidea),* peacock pansy (*Junonia almana),* great egg fly (*Hypolimnas bolina),* striped or common tiger (*Danaus genutia),* black vein sergeant (*Athyma ranga),* common hedge blue (*Actolepis puspa),* tiny grass blue (*Zizula hylax),* common acacia blue (*Surendra quercetorum),* common line blue (*Prosotas nora),* common spotted flat (*Celaenorrhinus leucocera),* grass demon (*Udaspes folus),* Indian rock python (*Python molurus),* king cobra (*Ophiophagus hannah),* olivaceous keelback (*Atretium schistosum),* montane keelback (*Amphiesma monticola),* travancore kukri snake (*Oligodan travancoricus),* russel's sand boa (*Eryx conica),* black headed snake (*Sibynophis subpunctatus),* common krait (*Bungarus caeruleus),* bamboo pit viper (*Trimeresurus sp),* Indian black turtle (*Melanochelys trijuga),* brook's gecko (*Hemidactylus brookii),* Indian garden lizard (*Calotes versicolas),* common monitor lizard (*Varanus bangalensis),* dussumier's litterskink (*Sphenomorphus dussumieri),* beddom's south Indian skink (*Mabuya beddomei), Duttaphrynus beddomii, Duttaphrynus hololius, Duttaphrynus silentvalleyensis, Fejervarya keralensis, Nyctibatrachus beddomii, Indirana beddomii, Raorchestes beddomii, Rhacophorus malabaricus, Barilius canarensis, Barilius gatensis, Tor khudree, Garra mullya, Schistura denisoni denisoni, Mystus montanus, Xenentodon cancila, Pseudosphromenus cupanus, Channa striata,* etc;

AND WHEREAS, the major rare, endangered and threatened (RET) species in Idukki Wildlife Sanctuary are malavirinji (*Actinodaphne malabarica),* chooramullu (*Smilax wigthii),* perelam (*Amomum pterocarpum),* new guinea rosewood (*Dipterocarpus indicus),* purippa, vellakili (*Dysoxylum beddomei),* mala elangi (*Chionanthos malaelengi),* wild dog (*Cuonal pinus),* tiger (*Panthera tigris),* Asian elephant (*Elephas maximus),* Indian pangolin (*Maniscrassi caudata),* leopard (*Panthera pardus),* sloth bear (*Melarsus ursinus),* maninjeel (*Auguilla bengalensis),* etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Idukki Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 450 meters to 1.00 kilometres around the boundary of Idukki Wildlife Sanctuary, in Idukki district in the State of Kerala as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 450 meters to 1.00 kilometres around the boundary of Idukki Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 88.238 square kilometres. Out of which 24.317 square kilometres as agricultural land and rest includes Nagarampara Reserve in Kottayam Forest Division and Thodupuzha reserve in Kothamangalam forest division. The extents of Eco-sensitive Zone at various direction of the Sanctuary are:

Directions	Extents (kilometres)
North	0.45 to 1.00
North – East	1.00
East	1.00
South – East	1.00
South	1.00
South – West	1.00
West	1.00
North – West	0.45 to 1.00

(2) The boundary description of Idukki Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Idukki Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Idukki Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Kerala State Pollution Control Board; and
(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the

Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Idukki	Chairman, ex officio
(ii)	Member of Legislative Assembly, Idukki	Member;
(iii)	Member of Legislative Assembly, Peermedu	Member;
(iv)	Member of Legislative Assembly, Udumbanchola	Member;
(v)	President, District Panchayat, Idukki	Member;
(vi)	One representative of Non-Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vii)	One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to benominated by the Government of Kerala	Member;
(viii)	Member of the State Biodiversity Board	Member;
(ix)	Kerala Pollution Control Board, District Officer	Member;
(x)	Wildlife Warden, Idukki Wildlife Division	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/106/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF IDUKKI WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE KERALA

Direction	**Boundary descriptions**
North	Boundary commencing from the left bank side of Cheruthony Dam goes along the Dam up to the end and then passes along the northern limit of FRL of Idukki Reservoir meeting the northwest corner of the Idukki Arch Dam and then along the FRL up to the point where it meets Kattappana River.
East	Here it crosses the Kattappana River and goes along the FRL boundary of the lake till it reaches the southeast corner of Kallar teak plantation.
South	It follows the southern boundary of the kallar teak plantation until it reaches the Kannampadithodu and then along a straight line more or less west till it meets the southeast corner of Cheruthony reservoir FRL and then along the FRL southern side in a westerly direction until Malayattoor Forest Division boundary.
West	It goes along the FRL boundary of the lake and reaches the starting point. Three sides of the Sanctuary (north, east and west) are demarcated by FRL of lake and the fourthside (south) is demarcated with permanent cairns along the reserve boundary.

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND IDUKKI WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE KERALA

North	The northern boundary starts from the point number 22 (76° 55' 54.380" E 9° 50' 39.892" N (Thodupuzha – Puliyanmala road)) and it leads up to point number 23 (76° 56' 43.929" E 9° 51' 4.738" N). Point number 23 (76° 56' 43.929" E 9° 51' 4.738" N) then it leads through KSEB road up to point number 24 (76° 57' 34.587" E 9° 50' 24.656" N). From point number 24 (76° 57' 34.587" E 9° 50' 24.656" N) to point number 25 (76° 58' 59.467" E 9° 50' 45.408" N) leads through Nagarampara Reserve.
North - East	The north-eastern boundary starts from point number 25 (76° 58' 59.467" E 9° 50' 45.408" N) to point number 26 (77° 0' 11.128" E 9° 49' 39.919" N) through Thodupuzha – Puliyanmala road. From point number 26 (77° 0' 11.128" E 9° 49' 39.919" N) to point number 28 (77° 2' 51.038" E 9° 48' 3.257" N) through Kuravan mala (Ayyappankovil Range)

East	Starting from point number 28 (77° 2' 51.038" E 9° 48' 3.257" N) to point number 1, 2, 3 (77° 4' 59.391" E 9° 45' 38.073" N) through Ayyappankovil Range.
South - East	Starting from the point number 3 (77° 4' 59.391" E 9° 45' 38.073" N) to point number 8 (77° 2' 2.322" E 9° 42' 41.483" N) Ayyappankovil Range and Kanchiyar Village.
South	Starting from the point number 8 (77° 2' 2.322" E 9° 42' 41.483" N) to point number 13 (76° 55' 54.702" E 9° 43' 5.500" N) through Ayyappankovil Range and Upputhara, Vagamon and Ayyappankovil revenue area.
South-west	From the point number 13 (76° 55' 54.702" E 9° 43' 5.500" N) to point number 15 (76° 53' 29.252" E 9° 46' 22.734" N) through Vagamon and Arakkulam village. Point number 15 (76° 53' 29.252" E 9° 46' 22.734" N) to point number 16 (76° 53' 29.252" E 9° 46' 22.734" N) through Southern boundary of Nagarampara Reserve Forest.
West	From the point number 16 (76° 53' 29.252" E 9° 46' 22.734" N) to point number 17 (76° 53' 23.916" E 9° 47' 30.769" N) through water shed boundary of Nachar and Cheruthoni river upto the ridge of Nadukanimala and it reaches Puliyanmala - Thodupuzha road through Arakulam village. 17 (76° 53' 23.916" E 9° 47' 30.769" N) to point number 19 (76° 53' 39.951" E 9° 49' 3.391" N) through Thodupuzha – Puliyanmala road upto Annachi valavu, from Annachi valavu straightline to Paramada which is located in Thodupuzha – Puliyanmala road crossing Koyipalli and Muthiyurunda thodu.
North-west	From the point number 19 (76° 53' 39.951" E 9° 49' 3.391" N) to point number 22 (76° 55' 54.380" E 9° 50' 39.892" N) through Thodupuzha – puliyanmala road (right side).

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF IDUKKI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

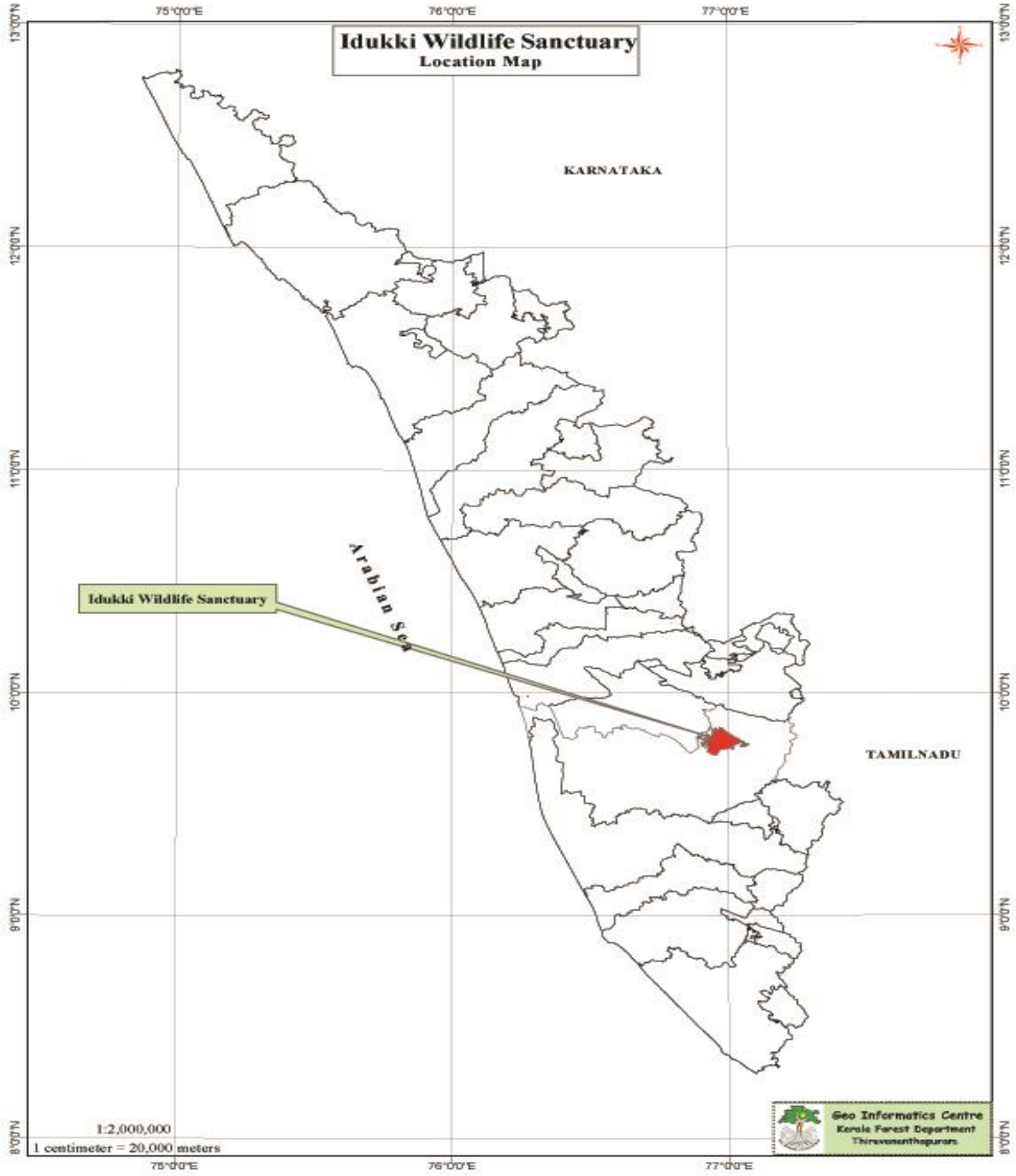

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF IDUKKI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

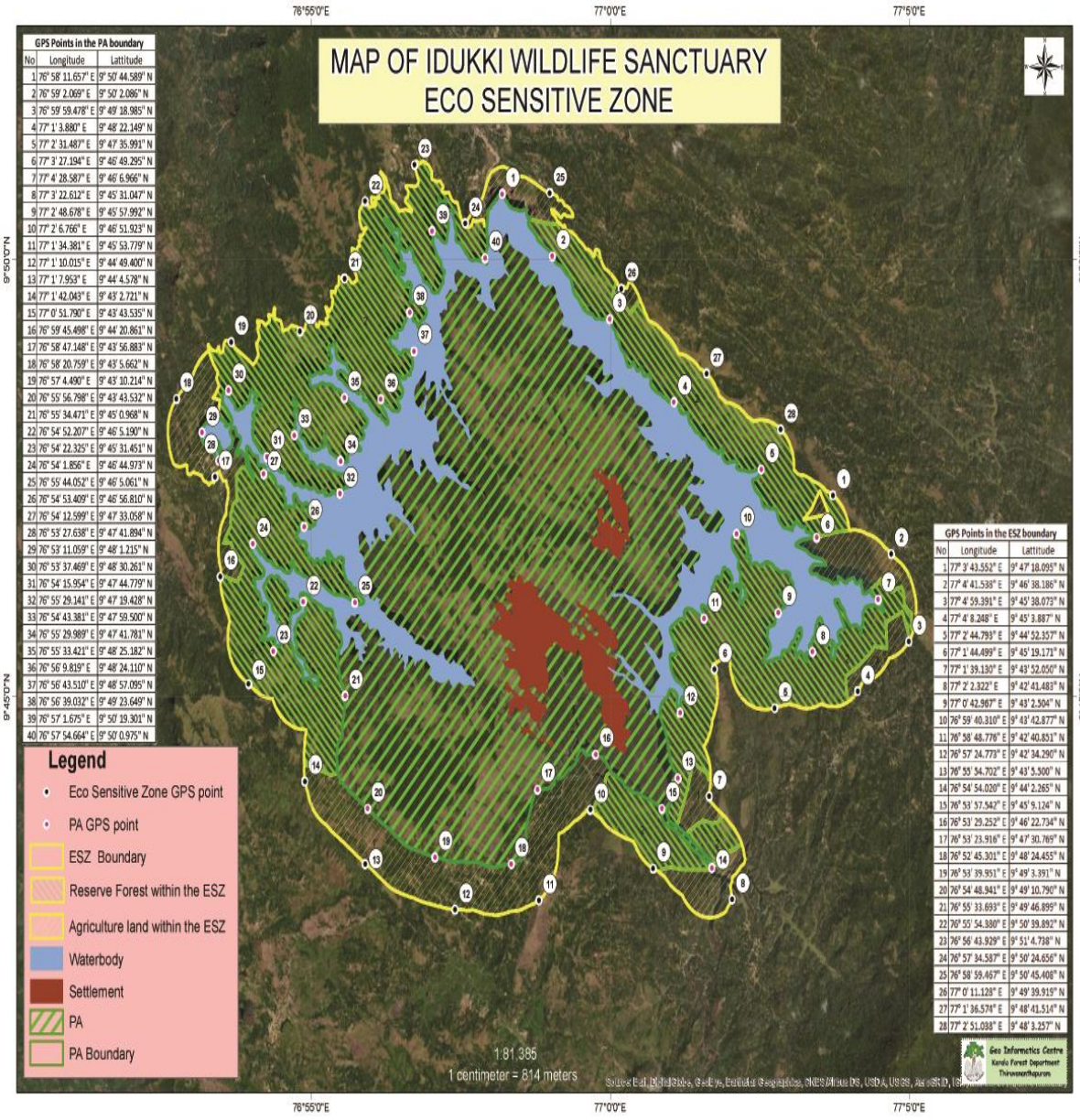

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF IDUKKI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS IN SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

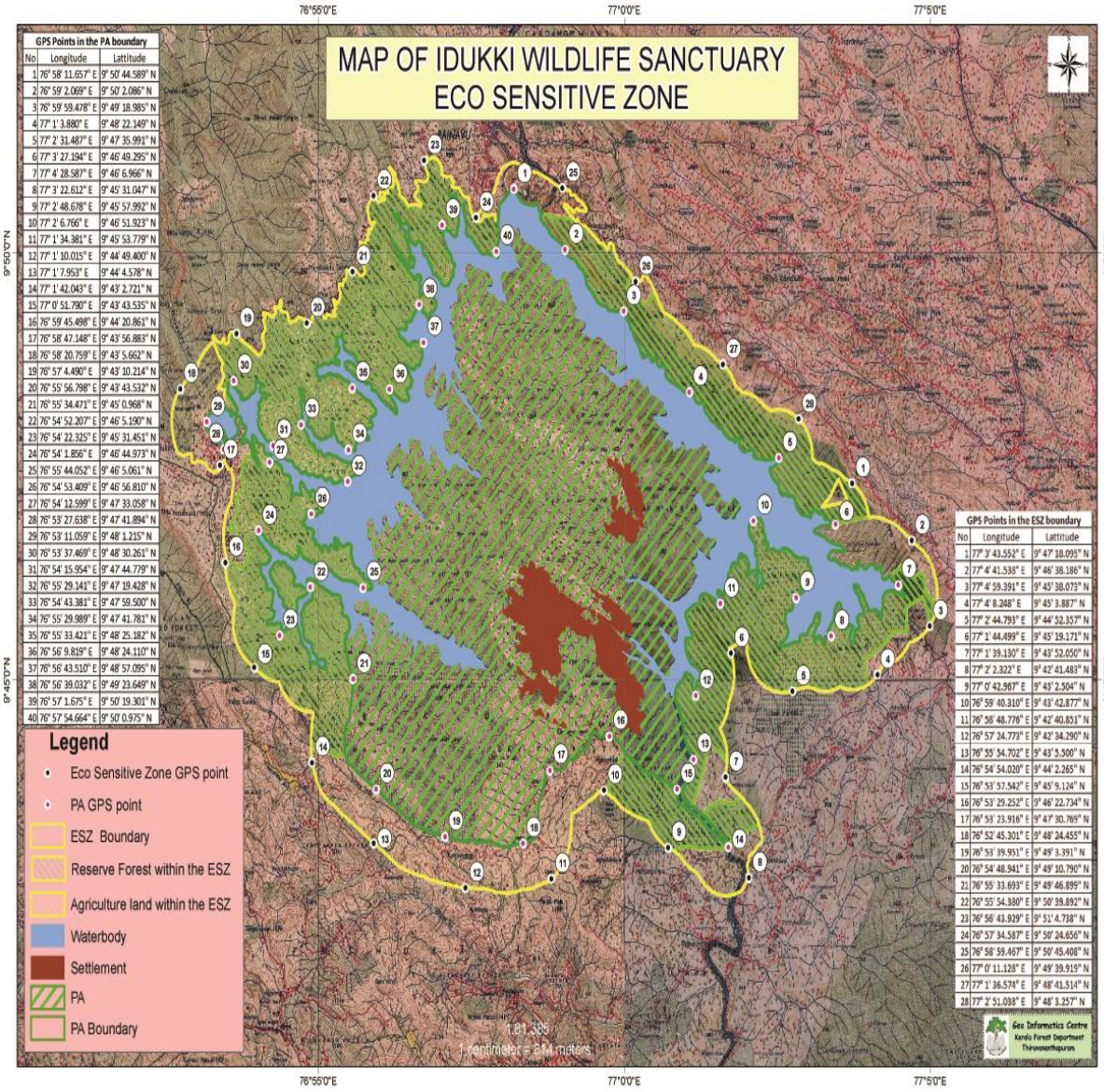

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF IDUKKI WILDLIFE SANCTUARY

Sl No	Identification of prominent points	Location/Direction of prominent points	Latitude(N) DMS Format	Longitude(E) DMS Format
1	Cheruthoni dam	North	9° 50' 44.589" N	76° 58' 11.657" E
2	Idukki dam	North	9° 50' 2.086" N	76° 59' 2.069" E
3	Narakakanam	North East	9° 49' 18.985" N	76° 59' 59.478" E
4	Kalvary mount	North East	9° 48' 22.149" N	77° 1' 3.880" E

5	Kalyanathandu	North East	9° 47' 35.991" N	77° 2' 31.487" E
6	Kalyanathandu	East	9° 46' 49.295" N	77° 3' 27.194" E
7	Anchuruly	East	9° 46' 6.966" N	77° 4' 28.587" E
8	Anchuruly	South East	9° 45' 31.047" N	77° 3' 22.612" E
9	Anchuruly	South East	9° 45' 57.992" N	77° 2' 48.678" E
10	Anapallam	South East	9° 46' 51.923" N	77° 2' 6.766" E
11	Kozhimala Teak plantation	South East	9° 45' 53.779" N	77° 1' 34.381" E
12	Kozhimala	South East	9° 44' 49.400" N	77° 1' 10.015" E
13	Kozhimala teak plantation	South East	9° 44' 4.578" N	77° 1' 7.953" E
14	Ayyappancovil Temple	South East	9° 43' 2.721" N	77° 1' 42.043" E
15	Muthampadi	South East	9° 43' 43.535" N	77° 0' 51.790" E
16	Vanmavu	South	9° 44' 20.861" N	76° 59' 45.498" E
17	Kottapara	South	9° 43' 56.883" N	76° 58' 47.148" E
18	Ottamarampara	South	9° 43' 5.662" N	76° 58' 20.759" E
19	7th Block	South	9° 43' 10.214" N	76° 57' 4.490" E
20	Kannamkayam	South West	9° 43' 43.532" N	76° 55' 56.798" E
21	Muthuchola	South West	9° 45' 0.968" N	76° 55' 34.471" E
22	Muthuchola	South West	9° 46' 5.190" N	76° 54' 52.207" E
23	Onthumala	South West	9° 45' 31.451" N	76° 54' 22.325" E
24	Nellikkapara	South West	9° 46' 44.973" N	76° 54' 1.856" E
25	Kappakanam	South West	9° 46' 5.061" N	76° 55' 44.052" E
26	Kappakanam	West	9° 46' 56.810" N	76° 54' 53.409" E
27	KSEB Colony, Kulamavu Dam	West	9° 47' 33.058" N	76° 54' 12.599" E
28	Kulamavu	West	9° 47' 41.894" N	76° 53' 27.638" E
29	Kulamavu	West	9° 48' 1.215" N	76° 53' 11.059" E
30	Kulamavu	West	9° 48' 30.261" N	76° 53' 37.469" E
31	Vairamani	West	9° 47' 44.779" N	76° 54' 15.954" E
32	Kudayurutti	West	9° 47' 19.428" N	76° 55' 29.141" E
33	Cheri Oli	West	9° 47' 59.500" N	76° 54' 43.381" E
34	Cheri Oli	West	9° 47' 41.781" N	76° 55' 29.989" E
35	Pappan Oli	West	9° 48' 25.182" N	76° 55' 33.421" E
36	Pappan Oli	West	9° 48' 24.110" N	76° 56' 9.819" E

37	Meenmutti	North West	9° 48' 57.095" N	76° 56' 43.510" E
38	Irikkamannu	North West	9° 49' 23.649" N	76° 56' 39.032" E
39	Painavu	North	9° 50' 19.301" N	76° 57' 1.675" E
40	Vellappara	North	9° 50' 0.975" N	76° 57' 54.664" E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl No	Identification of prominent points	Location/Direction of prominent points	Latitude(N) DMS Format	Longitude(E) DMS Format
1	Kalyanathandu	East	9° 47' 18.095" N	77° 3' 43.552" E
2	Anchuruly Tunnel	East	9° 46' 38.186" N	77° 4' 41.538" E
3	Anchuruly	East	9° 45' 38.073" N	77° 4' 59.391" E
4	Kanchiyar	South East	9° 45' 3.887" N	77° 4' 8.248" E
5	Kozhimala	South East	9° 44' 52.357" N	77° 2' 44.793" E
6	Mattappalli	South East	9° 45' 19.171" N	77° 1' 44.499" E
7	Kovilmala	South East	9° 43' 52.050" N	77° 1' 39.130" E
8	Ayyappankovil	South East	9° 42' 41.483" N	77° 2' 2.322" E
9	Ayyappankovil	South	9° 43' 2.504" N	77° 0' 42.967" E
10	Vanmavu	South	9° 43' 42.877" N	76° 59' 40.310" E
11	Kappipara	South	9° 42' 40.851" N	76° 58' 48.776" E
12	Kumarikulam	South	9° 42' 34.290" N	76° 57' 24.773" E
13	Kottamala	South	9° 43' 5.500" N	76° 55' 54.702" E
14	Ambalamedu	South West	9° 44' 2.265" N	76° 54' 54.020" E
15	Mullakanam	South West	9° 45' 9.124" N	76° 53' 57.542" E
16	Nellikkapara	South West	9° 46' 22.734" N	76° 53' 29.252" E
17	Kulamavu	West	9° 47' 30.769" N	76° 53' 23.916" E
18	Kozhipally	West	9° 48' 24.455" N	76° 52' 45.301" E
19	Muthiyurundayaar	West	9° 49' 3.391" N	76° 53' 39.951" E
20	Cheri	North East	9° 49' 10.790" N	76° 54' 48.941" E
21	Meenmutti	North East	9° 49' 46.899" N	76° 55' 33.693" E
22	Kuyilimala	North East	9° 50' 39.892" N	76° 55' 54.380" E
23	Painavu	North	E 9° 51' 4.738" N	76° 56' 43.929" E
24	Cheruthoni	North	9° 50' 24.656" N	76° 57' 34.587" E
25	Idukki	North	9° 50' 45.408" N	76° 58' 59.467" E

26	Narakakanam	North East	9° 49' 39.919" N	77° 0' 11.128" E
27	Kalvari Mount	North East	9° 48' 41.514" N	77° 1' 36.574" E
28	Vazhavara	North East	9° 48' 3.257" N	77° 2' 51.038" E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF IDUKKI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No	Village Name	Type of Village	Tehsil / Taluka	GPS co-ordinates	
				Latitude	Longitude
1	Upputhara	Upputhara	Peerumedu	N 9^0 41’47.77	E 077^0 01’35.24
2	Vagamon	Vagamon	Peerumedu	N 9^0 40’11.54	E 076^0 57’14.33
3	Ayyappankovil	ayyappancovil	Udumbanchola	N 9^0 41’56.37	E 076^0 56’59.30
4	Kanchiyar	Kanchiyar	Idukki	N 9^0 44’24.74	E 077^0 03’48.23
5	Idukki	Idukki	Idukki	N 9^0 59’34.01	E 073^0 31’34.64
6	Arakkulam	Arakkulam	Thodupuzha	N 9^0 48’37.82	E 076^0 49’45.93

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.17 22:14:22 +05'30'